"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 106] रायपुर, गुरूवार, दिनांक 23 मार्च 2023 —— चैत्र 2, शक 1945

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 मार्च 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–4/2023/वा.क.(आब.)/पांच (04).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) (ड.), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

संशोधन

1. उक्त नियमों –

(1) नियम 6 के उप नियम (4) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 6 के उप नियम (4) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्–

''(4) देशी मदिरा के विनिर्माता इकाई द्वारा प्रदाय किए जा रहे मदिरा के लैंडिंग प्राईस (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) पर 50 प्रतिशत की दर से काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अथवा आबकारी शुल्क जैसा भी लागू हो, अधिरोपित की गई है। उक्त ड्यूटी/आबकारी शुल्क के संदाय के उपरांत ही मदिरा भण्डारण–भाण्डागार में प्रदाय की जा सकती है। प्रदायकर्त्ता द्वारा प्रदाय की गई मदिरा के परेषण के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक टूट–फूट पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अथवा आबकारी शुल्क वापसी योग्य नहीं होगी।''

(2) प्ररूप सी.एस.6क के स्थान पर निम्नानुसार प्ररूप सी.एस.6क प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्–

''प्ररूप सी.एस.6(क)

(नियम 6(1) देखिये)

भाग–एक (जारी किये जाने वाले विनिर्माण भांडागार में रखी जाए)

भाग–दो (परिवहनकर्ता अनुज्ञप्तिधारी को सौपी जाए। इस भाग में परिवहन के दौरान परेषण सम्मिलित होगा)

भाग–तीन (गन्तव्य स्थल के भण्डारण भाण्डागार के भारसाधक अधिकारी को भेजा जाये)

क्रमांक .... तारीख ....

सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा परिवहन हेतु अनुज्ञा–पत्र

प्रारूप सी.एस.1ख में अनुज्ञप्ति के धारक .... को उसकी .... स्थित अनुज्ञप्त आसवनी (विनिर्माण भाण्डागार) से .... भण्डारण भाण्डागार तक काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अथवा आबकारी शुल्क जैसा भी लागू हो की राशि जमा कर नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा के परिवहन के लिए एतद्द्वारा अनुज्ञा–पत्र प्रदान किया जाता है। यह अनुज्ञा–पत्र केवल ....तक विधिमान्य होगा। परेषण को ....व्हाया...............................होकर उसके गन्तव्य स्थान तक ले जाया जाएगा।

(परिवहन की जा रही सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा की विशिष्टियाँ)

क्रमांक	सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा का विवरण	पैकेजों (मास्टर कॉर्टन) की संख्या	बल्क लीटर में मात्रा	शक्ति	प्रूफ लीटर में मात्रा
1	2	3	4	5	6

उपरोक्त परेषण के साथ वाहन क्रमांक .... तारीख.......................को .... पूर्वान्ह/अपरान्ह में रवाना हुआ। काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिषुल्क) अथवा आबकारी शुल्क जैसा भी लागू हो के चालान का विवरणः– जमा राशि .... चालान क्रमांक .... तारीख ....''

2. यह अधिसूचना दिनांक 01–04–2023 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 13 मार्च 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–4/2023/वा.क.(आब.)/पांच (05).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (छ) एवं (ज) तथा छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 4 के उप–नियम (12) के खण्ड (ख) के (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा देशी मदिरा के ऐसे प्रत्येक नामपत्र (लेबल) के लिए, जिसका छत्तीसगढ़ में विक्रय किया जाए या जिसका छत्तीसगढ़ में परिवहन किया जाए या जिसका छत्तीसगढ़ में आयात किया जाए या जिसका छत्तीसगढ़ से निर्यात किया जाए की फीस निम्नांकित सारणी के कॉलम (2) में विहित विवरण एवं कॉलम (3) में दर्षित अनुसार निर्धारित करती है :–

सारणी

क्र.	विवरण	फीस प्रत्येक नामपत्र (लेबल)
1	2	3
1	देशी मदिरा के नवीन नामपत्र (लेबल) पंजीकरण हेतु	रू. 1,00,000/–
2	देशी मदिरा के नामपत्र (लेबल) परिवर्तन/आंशिक संशोधन (मोडिफिकेशन) हेतु	रू. 1,00,000/–
3	देशी मदिरा के नामपत्र (लेबल) प्रतिवर्ष नवीनीकरण हेतु	रू. 50,000/–

2. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.